इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2025—ज्येष्ठ 9, शक 1947

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2025

क्र. एफ—1—1—3—2023—बी—ग्यारह.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा ''मध्यप्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं'' (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः—

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1/ नियम 11 में, उपनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाए, अर्थात् :-

"(3) (क) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध पदों में से सोलह प्रतिशत (16%) अनुसूचित जातियों, बीस प्रतिशत (20%) अनुसूचित जनजातियों एवं सत्ताईस प्रतिशत (27%) अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे।

(ख) किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, समस्त पदों (वन विभाग को छोडकर) का पैंतीस प्रतिशत (35%) महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभाग-वार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्ट-वाईज) होगा।

(ग) दस प्रतिशत (10%) पद मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए जो, मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, आरक्षित रहेंगे:

परन्तु उक्त संबंध में आरक्षण के उपबंध राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण के उपबंध लागू होंगे।"

2/ अनुसूची चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"अनुसूची-चार

(नियम 13 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	पदोन्नति हेतु सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फर्म्स एवं संस्थाएं	प्रथम श्रेणी उप पजीयक	पंजीयक	5 वर्ष	1. मुख्य सचिव-अध्यक्ष 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव म.प्र.शासन- सदस्य 3. संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव- सदस्य 4. प्रशासकीय विभाग के उपसचिव- सदस्य 5. पदाविहित समकक्ष अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य- सदस्य
	द्वितीय श्रेणी (1) सहायक पंजीयक	उप पंजीयक	5 वर्ष	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी-अध्यक्ष 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ संबंधित विभाग के सचिव- सदस्य 3. संबंधित विभाग का प्रमुख- सदस्य 4. पदाविहित समकक्ष अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति से एक सदस्य- सदस्य
	(2) निरीक्षक/ अधीक्षक	सहायक पंजीयक	5 वर्ष	--तदैव--
	(3) स्टेनोग्राफर	सहायक पंजीयक	10 वर्ष	-- तदैव --।"।

S.No-F 1-1-3-2023-B-XI

In exercise of the powers Conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Firms and Societies (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988 namely :-

AMENDMENTS

In the said rules:-

1/ In Rule 11, for Sub-rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(3)(a) Sixteen Percent (16%) posts shall be reserved for Scheduled Castes, twenty percent (20%) posts for Scheduled Tribes and twenty seven percent (27%) posts for Other Backward Classes candidates amongst available vacant posts for direct recruitment.

(B) Notwithstanding anything contained in any service rules, thirty five percent (35%) of all the posts in the service under the state (except Forest Department) shall be reserved for women candidates at the stage of direct recruitment and the said reservation shall be horizontal and compartment-wise.

(C) Ten Percent (10%) posts shall be reserved for the candidates belonging to Economically Weaker Section of Madhya Pradesh who are not included in ambit of reservation conferred for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Provided that in this regard the provision of reservation shall be enforced in accordance with the directions issued by the State Government from time to time."

2/ For Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-IV

(See Rule 13)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum period of service required for promotion	Name of the members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Firms and Societies	Class- I Deputy Registrar	Registrar	5 Years	1. Chief Secretary -Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh - Member 3. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary of the concerning Department -Member 4. Deputy Secretary of the Administrative Department -Member 5. One member from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes as nominated by the designated equivalent officer -Member

	Class- II (1) Assistant Registrar	Deputy Registrar	5 Years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or the officer nominated by him -Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary of the concerning Department -Member 3. Head of the Concerning Department - Member 4. One member from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes as nominated by the designated equivalent officer -Member
	(2) Inspector/ Superintendent	Assistant Registrar	5 Years	-do-
	(3) Stenographer	Assistant Registrar	10 Years	-do-.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.